निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1148) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अक्तूबर 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

22 सितम्बर 2015

सं0 22 नि0 सि0(दर0)–16–14/2007/2167—श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, अवर प्रमंडल संख्या–4, बेनीपट्टी के विरूद्ध किंग्स नहर के वि0 दू0 50.90 पर पूर्व से निर्मित सृदृढ़ शीर्ष नियामक–सह–त्रियक नियामक–सह–जल प्रपात संरचना के अस्तित्व में रहने के बावजूद भी छद्म नाम से नवनिर्माण के नाम पर बोगस एवं गलत एकरारनामा कर सरकारी राशि के गबन हेतु कार्यस्थल का सर्वेक्षण कार्य किये बिना अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करने एवं उक्त अनुसंधान प्रतिवेदन को बिना जाँचे मुख्य अभियंता, दरभंगा को समर्पित करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। एतत् हेतु विभागीय पत्रांक 834 दिनांक 30.06.14 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर किया गया। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य इन्हें सौंपा गया था। सघन सर्वेक्षणोपरान्त किंग्स केनाल का शुरूआती अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करने में श्री सिन्हा संलग्न थे। अनुसंधान प्रतिवेदन जिसकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, दरभंगा द्वारा दिनांक 11.08.03 को दी गयी, पर श्री सिन्हा का हस्ताक्षर अंकित है। मूल स्वीकृत अनुसंधान प्रतिवेदन के आधार पर ही प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी। अतः श्री सिन्हा द्वारा संरचना के अस्तित्व में रहने के बावजूद इसे अनुसंधान प्रतिवेदन में सम्मिलित कर दिये जाने से संरचना को प्राक्कन में प्रावधानित हो जाने के लिए दोषी पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, अवर प्रमंडल संख्या–4, बेनीपट्टी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–19 के तहत ''चेतावनी'' का दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1148-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in